न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 26/2024

अनवान : –

1. शारदा पुत्री दयाराम जाति धानक साकिन राजपुरिया तहसील नोहर हाल चक 16 जेएसएन तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. लखा पत्नी दयाराम जाति धानक साकिन राजपुरिया हाल 16 जेएसएन तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 195/25 की कुल 0.6610 हैक्ट भूमि मे से 475/661 हिस्सा एवं रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 हैक्ट भूमि में से 723/5161 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।• वाद भूमि पूर्व में सायला के पिता दयाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि सायला व गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हुई तथा सायला व गैरसायलान संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हुयी।

सायला व गैरसायलान संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा जरिये दस्तबरदारी अपनी माता गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करवा लिया ताकि गैरसायल संख्या 1 अपनाा जीवन यापन कर सके एवं तथा बुढापे में भरण पोषण कर सके। सायला व गैरसायलान संख्या 4 ता 6 के हक व हिस्सा की भूमि वर्तमान में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है एवं गैरसायल संख्या 2 ता 3 के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त वाद भूमि में से गैरसायल संख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर सायल व गैरसायल संख्या 4 ता 6 बहिब अपने नाम नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल संख्या 2 व 3 गैरसायल संख्या 1 को बहला फुसलाकर वाद भूमि को बैचान करना चाहते है अगर गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः सायला गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि बेचान व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय की जारी की गई कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 195/25 की कुल 0.6610 हैक्ट भूमिएवं रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि विरासतन सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के नाम दर्ज हुई है। सायल एवं दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 4 ता ने अपना हक हिस्सा अपनी माता गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में जरिये दस्बरदारी दिनांक 08.09.2017 को परित्याग कर दिया था अब उनका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही है इसलिए न्यायालय से किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नही है। जब तक दस्तबरदारी दिनांक 08.09.2017 बहाल है तब तक सायल न्यायालय से किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवा पाने की अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 195/25 की कुल 0.6610 हैक्ट भूमि मे से 475/661 हिस्सा एवं रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 हैक्ट भूमि में से 723/5161 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 08.09.2017 से स्पष्ट है कि सायला एवं दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 ने अपना समस्त हक हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा उक्त दस्तरदारी के खंडन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीया के पक्ष मे। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 05.02.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/05/24 को [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर